न्यायालय – जिला न्यायाधीश जशपुर, जिला–जशपुर(छ.ग.)

[पीठासीन अधिकारी – शैलेश अच्युत पटवर्धन]

SHAILESH ACHYUT PATWARDHAN
Digitally signed by SHAILESH ACHYUT PATWARDHAN

व्यवहार वाद क्र.–04 अ/2022.
संस्थित दिनांक–04.07.2024.

1– **अखिलेश चन्द्र सहाय** आ. स्व. उमेश चन्द्र सहाय,
आयु 69 वर्ष,

2– **श्यामकृष्ण सहाय** आ. स्व. उमेश चन्द्र सहाय,
आयु 55 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम–जशपुरनगर,
तह. व जिला–जशपुर(छ.ग.)। ------- वादीगण/आवेदकगण.

∫∫ विरूद्ध ∫∫

1– **विनोद कुमार जैन** आ. हनुमान प्रसाद जैन, आयु 60 वर्ष,

2– **मुकेश कुमार जैन** आ. प्रकाश चन्द्र जैन, आयु 44 वर्ष,
दोनों निवासी ग्राम–जशपुरनगर, तह. व जिला–जशपुर(छ.ग.)।

3– **छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जिलाध्यक्ष जशपुरनगर,**
जिला–जशपुर(छ.ग.)। ------ प्रतिवादीगण/अनावेदकगण.

वादीगण/आवेदकगण द्वारा **श्री ए.सी. सहाय,** अधिवक्ता।
प्रतिवादीगण/अनावेदकगण क्र.–01 एवं 02 द्वारा **श्री एम.एस. आलम,** अधिवक्ता।
प्रतिवादी/अनावेदक क्र.–03 छ.ग. शासन द्वारा **श्री अजय कुमार सिन्हा,** शासकीय अभिभाषक।

∫∫ आदेश ∫∫

(दिनांक 05 जनवरी 2026 को पारित)

01.– वादीगण/आवेदकगण द्वारा, प्रतिवादीगण/अनावेदकगण के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि के संबंध में दिनांक 08.07.2014 को निष्पादित विक्रय पत्र एवं नामांतरण **पंजी क्र.–104** में पारित आदेश दिनांक 26.07.2014 को शून्य एवं अवैध

घोषित किये जाने हेतु तथा वाद भूमि पर स्वत्व की घोषणा हेतु प्रस्तुत व्यवहार वाद में अंतर्वर्ती आवेदन अंतर्गत **आदेश 39, नियम 01 व 02 सी.पी.सी.** प्रस्तुत कर, इस आशय का अनुतोष चाहा गया है कि वाद के अंतिम निराकरण तक, **वादीगण/आवेदकगण** के पक्ष में तथा **प्रतिवादीगण/अनावेदकगण क्र.–01 एवं 02** के विरूद्ध अस्थायी आज्ञापक व्यादेश जारी कर, प्रतिवादीगण/अनावेदकगण क्र.–01 एवं 02 को वादग्रस्त भूमि पर करवाये जा रहे निर्माण कार्य को करने से निषेधित किया जावे ।

02.– आवेदन के समुचित निराकरण हेतु, प्रकरण में पक्षकारों के समायोजन के आधार पर, **आवेदकगण** को **"वादीगण"** तथा **अनावेदक क्र.–01 एवं 02** को **"प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02"** के रूप में संबोधित किया जावेगा ।

03.– वादीगण/आवेदकगण का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम–जशपुर में **खसरा नंबर–374/1** एवं **खसरा नंबर–498,** क्षेत्रफल **क्रमशः–0.381 हे.** तथा **1.093 हे., कुल क्षेत्रफल 1.42 हे.** वादग्रस्त कृषि भूमि स्थित है, जो **प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02** के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है । वादग्रस्त भूमि, कृषि भूमि है, जिसका व्यपवर्तन नहीं हुआ है और वाद भूमि राजस्व अभिलेखों में भी कृषि भूमि के नाम पर अंकित है । वादग्रस्त भूमि के संबंध में **मध्यप्रदेश/छ.ग. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम 1960 यथा संशोधित 1971–74** के अंतर्गत सिलिंग प्रकरण, भूतपूर्व **शासक राजा विजय भूषण सिंहदेव** के नाम पर चला था, जो प्रक.क्र.–801/अ–90 बी /1974–75 के रूप में पंजीबद्ध हुआ था तथा उनकी मृत्यु उपरांत नया सिलिंग प्रकरण क्र.–01/अ–90 बी/1996–97 तथा सिलिंग प्रक.क्र.–802/अ–90 बी/1974–75 एवं सिलिंग प्रक.क्र.–806/अ–90 बी/1974–75 के रूप में पंजीबद्ध होकर चला

था, जो वर्तमान में जिलाधीश जशपुर के समक्ष पूर्ण निराकरण हेतु लंबित है। वादीगण ने प्रकट किया है कि वादग्रस्त भूमि को भूतपूर्व शासक **स्व. विजय भूषण सिंहदेव** जी ने वादीगण के दादा, परदादा **स्व. अनंत सहाय** के नाम पर सिकमी काश्तकार के रूप में व्यवस्थापित/हस्तांतरित कर दिया था, जिसके संबंध में लिखित सनद सिकमी पट्टा दिनांक 11.07.1954 निष्पादित किया गया था, जिसके आधार पर वादीगण उनके दादा की मृत्यु उपरांत वर्ष 1986 से कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं और परदादा की मृत्यु उपरांत, वादीगण वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य में रहकर कृषि कार्य कर रहे हैं। वादीगण ने प्रकट किया है कि वर्ष 1958 में महाराजा साहब बहादुर, जिला–रायगढ़ (म.प्र.) के कार्यालय गोमस्ता ऋषिकेश मिश्र जी द्वारा, महाराजा साहब के आदेशानुसार दिनांक 16.07.1958 को सिकमी पत्र लिखकर, वादीगण के परदादा स्व. अनंत सहाय को मूल प्रति प्रदान की गई थी।

04.– वादीगण ने प्रकट किया है वर्ष 2004 में वर्तमान राजा साहब रणविजय सिंह जूदेव ने दिनांक 29.03.2004 को तहसीलदार जशपुर को पत्र लिखकर, वादग्रस्त भूमि पर उनके परिवार का नाम पृथक करते हुए, वादीगण का नाम नामांतरित करने हेतु निवेदन किया था। वर्ष 1974–75 में **मध्यप्रदेश/छ.ग. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 यथा संशोधित 1971–74** के अंतर्गत जशपुर रियासत के भूतपूर्व शासक स्व. राजा विजय भूषण सिंह जूदेव द्वारा सक्षम अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी जशपुर के समक्ष रिर्टन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें रिर्टन हस्तांतरण प्रोफार्मा में वादीगण के दादा **स्व. अनंत सहाय** के नाम पर सिकमी काश्तकार के रूप में वाद भूमि के हस्तांतरण का उल्लेख किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सिकमी हस्तांतरण के आधार पर, अभिलेखों का अवलोकन कर दिनांक 04.11.1977 को

वादग्रस्त भूमि के हस्तांतरण को वैध हस्तांतरण मान्य किया था । उक्त आदेश के प्रभाव से वादीगण, भूमि धारक स्वामी समझे गये । वादीगण के अनुसार, दिनांक 04.11.1997 को पारित आदेश से व्यथित होकर, अन्य सिकमीदारों एवं अन्य भू–धारकों द्वारा राजस्व मण्डल ग्वालियर के समक्ष कई अपीलें एवं पुनरीक्षण प्रस्तुत किये गये थे, जिसमें राजस्व मण्डल द्वारा अंतिम आदेश दिनांक 30.06.1980 को पारित कर, उपरोक्त सिलिंग प्रकरण को विधिवत् विचारण हेतु इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया था कि **मध्यप्रदेश/छ.ग. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 यथा संशोधित 1971–74** की **धारा 04, 05 तथा 11** के अनुरूप विधिवत् विचारण करते हुए अंतिम आदेश पारित किया जावे । उक्त आदेश के परिपालन में जिलाधीश जशपुर के समक्ष सिलिंग प्रकरण लंबित है ।

05.– वादीगण ने प्रकट किया है कि भूतपूर्व शासक राजा विजय भूषण सिंह देव की मृत्यु वर्ष 1982 के आसपास हो जाने पर, उपरोक्त सिलिंग प्रकरण में भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाया जाकर, जिलाधीश जशपुर के समक्ष प्रकरण पुनः प्रारंभ किया गया, जिसमें पारित अंतरिम आदेश से व्यथित होकर, **माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर** के समक्ष **याचिका क्र.–419/2001** प्रस्तुत की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2001 एवं 11.04.2001 को अंतरिम आदेश पारित कर, जिलाधीश जशपुर के समक्ष लंबित **सिलिंग प्रक.क्र.–801/ अ–90 बी/1974–75** अथवा **नया सिलिंग प्रक.क्र.–01/अ–90 बी/1996–97** की समस्त कार्यवाही को याचिका के निराकरण तक स्थगित कर दिया गया, इस कारण सिलिंग प्रकरण से संबंधित समस्त भूमि के संबंध में विभाजन, उप विभाजन, नामांतरण एवं नक्शा दुरूस्ती अथवा व्यपवर्तन की कार्यवाही नहीं हो सकती थी, क्योंकि ऐसी कार्यवाही माननीय उच्च

न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम स्थगन दिनांक 11.04.2001 का उल्लंघन होती । **माननीय उच्च न्यायालय** द्वारा **याचिका क्र.–419/2001** में दिनांक 23.11.2017 को अंतिम आदेश पारित कर, भूतपूर्व शासक राजा विजय भूषण सिंहदेव के उत्तराधिकारियों द्वारा प्रस्तुत याचिका को निरस्त कर दिया गया । इसी प्रकार **माननीय उच्च न्यायालय** द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28.01.2001 एवं दिनांक 11.04.2001 भी स्वयमेव समाप्त हो गये । इसके पश्चात् जिलाधीश जशपुर द्वारा सिलिंग प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

06.– वादीगण के अनुसार, **मध्यप्रदेश/छ.ग. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 यथा संशोधित 1971–74** की **धारा 04, 05 तथा 11** के अनुसार, सिलिंग प्रकरण के अंतिम निराकरण तक, जिलाधीश की लिखित अनुज्ञा के बिना भूमि का विभाजन, उप विभाजन, विक्रय, दान, नामांतरण, नक्शा दुरूस्ती तथा व्यपवर्तन की कार्यवाही नहीं की जा सकती । इसके बाद भी प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02 ने दिनांक 08.07.2014 को छल पूर्वक, उप पंजीयक को गलत जानकारी देकर, **90,00,000/–(नब्बे लाख) रूपये** के मूल्य पर वादग्रस्त भूमि का विक्रय करवा लिया गया, जो कि **अधिनियम की धारा 05** का उल्लंघन है । इस प्रकार निष्पादित विक्रय पत्र कूटरचित, फर्जी एवं प्रारंभ से शून्य एवं अवैध है । विक्रय पत्र के आधार पर **प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02** के पक्ष में किसी प्रकार का स्वत्व का अंतरण नहीं होता है । इसी कारण हल्का पटवारी जशपुर द्वारा नामांतरण **पंजी क्र.–104** में दिनांक 08.07.2014 को नामांतरण प्रकरण दर्ज कर, तहसीलदार जशपुर से दिनांक 26.07.2014 को नामांतरण **पंजी क्र.–104** में करवाया गया नामांतरण दाखिला में **अधिनियम की धारा 05** का उल्लंघन होने के कारण, विधि विरूद्ध एवं शून्य है । वादीगण के अनुसार, वादग्रस्त भूमि

वादीगण के आधिपत्य में है, जिसके पश्चिम की ओर वादीगण की निर्मित घेरा दीवार है तथा आने–जाने का मार्ग स्थित है । **प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02** द्वारा वर्तमान में वाद भूमि पर भू–निर्माण कार्य हेतु सामग्री एकत्रित की जा रही है, इस कारण वादीगण की प्रार्थना है कि वाद के अंतिम निराकरण तक वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02 के विरूद्ध अस्थायी व्यादेश जारी कर, उन्हें वाद भूमि में निर्माण कार्य से निषेधित किया जावे ।

07.– **प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02** द्वारा उत्तर में, वादीगण द्वारा प्रकट किये गये अभिवचनों का खण्डन करते हुए प्रकट किया है कि वादग्रस्त भूमि दिनांक 01.01.1971 से दिनांक 07.03.1974 तक जशपुर रियासत के भूतपूर्व शासक **स्व. विजय भूषण सिंहदेव** के नाम पर राजस्व अभिलेखों पर दर्ज रही है । प्रतिवादीगण ने अस्वीकार किया है कि वर्तमान में भी भूमि विजय भूषण सिंहदेव के नाम पर ही दर्ज है । प्रतिवादीगण के अनुसार वर्तमान में वादग्रस्त भूमि **प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02** के नाम पर राजस्व अभिलेखों में भूमि स्वामी के नाम पर दर्ज है । प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि, जशपुर रियासत के भूतपूर्व शासक स्व. विजय भूषण सिंहदेव के नाम पर सिलिंग प्रकरण सम्मिलित की गई थी और उनकी मृत्यु उपरांत नवीन सिलिंग **प्रक.क्र.–01/अ–90 बी/1996–97** के रूप में पंजीकृत होकर, जिलाधीश जशपुर के समक्ष विचाराधीन है । **प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02** ने विशिष्ट कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि **खसरा नंबर–374/1 क** को निराकृत **सिलिंग प्रक.क्र.–801/अ–90 बी/1974–75** में पारित आदेश दिनांक 04.11.1977 को सिलिंग सीमा से मुक्त किया जाकर, स्व. राजा विजय भूषण सिंहदेव के नाम पर भूमि स्वामी हक स्वीकृत किया गया था, जिसके अनुसार किश्तबंदी खतौनी 1986–87, किश्तबंदी खतौनी 1977–78,

किश्तबंदी खतौनी 1978–79, किश्तबंदी खतौनी 1995–96, किश्तबंदी खतौनी 1997–98 तक राजस्व प्रविष्टि के अनुसार वाद भूमि राजा विजय भूषण सिंहदेव के नाम पर भूमि स्वामी और आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज चली आ रही थी तथा उनकी मृत्यु उपरांत उनके विधिक उत्तराधिकारी के नाम पर वर्ष 2001–02 में किश्तबंदी खतौनी में दर्ज की गई । प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02 ने प्रकट किया है कि उपरोक्त स्थिति वर्ष 2013–14 तक राजस्व अभिलेखों में दर्ज होती चली आयी । इसके पश्चात् प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02 ने दिनांक 08.07.2014 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से वादग्रस्त भूमि को क्रय किया गया है । इसके पश्चात् नामांतरण विधि का समुचित पालन कर, राजस्व अभिलेखों में दिनांक 26.07.2014 को राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित आदेशानुसार प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02 का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित किया गया है, जिसकी पुष्टि **राजस्व अपील प्रक.क्र.–27/अ–06/2013–14** में पारित आदेश **दिनांक 28.10.2015** के माध्यम से की जा चुकी है ।

08.– **प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02** ने प्रकट किया है कि सिलिंग प्रक.क्र.–01/अ–90 बी/1996–97 के प्रकरण में जशपुर राज परिवार के विरूद्ध सिलिंग प्रकरण विचाराधीन है । विचाराधीन प्रकरण में वादीगण ने वाद भूमियों को लेकर, उनका पक्ष रखने का आवेदन या दस्तावेज या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, इस कारण वादीगण को विचाराधीन सिलिंग प्रकरण को लेकर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है । **प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02** ने यह भी विशिष्ट कथन किया है कि अनुविभागीय अधिकारी जशपुर द्वारा **सिलिंग प्रक.क्र.–801/अ–90 बी/1974–75** में दिनांक 04.11.1977 को अंतिम आदेश पारित कर, वाद भूमियों को सिलिंग सीमा से मुक्त माना गया है । आदेश के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादीगण के परदादा **स्व. अनंत सहाय** की

ओर से वाद भूमि पर स्वत्व एवं आधिपत्य के दावे को भी अमान्य किया गया है, जिसे वादीगण द्वारा किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है । वादीगण ने उपरोक्त आदेश की जानकारी होने के पश्चात्, **सिलिंग एक्ट** में निर्धारित **समय सीमा 03 माह के भीतर** वाद प्रस्तुत नहीं किया है, इस कारण भी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं आवेदन प्रचलन योग्य नहीं है ।

09.– **प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02** ने अस्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि को **भूतपूर्व शासक स्व. विजय भूषण सिंहदेव** द्वारा, वादीगण के दादा, परदादा स्व. अनंत सहाय के नाम पर सिकमी काश्तकार के रूप में व्यस्थापित या हस्तांतरित कर दिया गया था । प्रतिवादीगण ने अस्वीकार किया है कि इस संबंध में दिनांक 11.07.1954 को एक लिखित सनद सिकमी पट्टा भी निष्पादित किया गया था । प्रतिवादीगण ने अस्वीकार किया है कि सिकमी पट्टा के आधार पर, वादीगण के परदादा **स्व. अनंत सहाय** मृत्यु पर्यन्त वर्ष 1986 तक वाद भूमि पर कृषि कार्य करते रहे और उसके पश्चात् वादीगण कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं ।

10.– **प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02** ने प्रकट किया है कि वादीगण ने, स्व. राजा विजय भूषण सिंहदेव द्वारा, स्व. अनंत सहाय के नाम पर दिनांक 11.07.1954 को एक लिखित सनद सिकमी पट्टा निष्पादित करने का अभिवचन किया है, इसके साथ ही वादीगण ने महाराजा साहब बहादुर जशपुरनगर के कार्यालय में गोमास्ता ऋषिकेश मिश्र के द्वारा, महाराजा के आदेशानुसार दिनांक 16.07.1958 को एक सिकमी पत्र लेखकर, वाद भूमि के संबंध में स्व. अनंत सहाय को वाद भूमि प्रदान करने का अभिवचन किया है। दिनांक 11.07.1954 को लिखित सनद प्रदान किया जाना तथा दिनांक

16.07.1958 को गोमास्ता द्वारा सिकमी पत्र लिखकर जारी किया जाना, हस्तांतरण की विधि नहीं है । इस कारण स्व. अनंत सहाय ने किसी प्रकार का स्वत्व अर्जित नहीं किया था, बाद में परिणाम स्वरूप वादीगण द्वारा भी उत्तराधिकार में किसी प्रकार का स्वत्व अर्जित नहीं किया गया है । प्रतिवादीगण ने विशिष्ट रूप से लेख किया है कि वर्ष 1974–75/1976 में जो सिलिंग प्रकरण राज परिवार के विरूद्ध दिनांक 04.11.1997 को निराकृत हुआ है और उसके पश्चात् अलग–अलग क्रमांकों में पंजीकृत और निराकृत किये गये किसी भी सिलिंग प्रकरण में दिनांक 11.07.1954 के लिखित सनद के सिकमी पट्टा और दिनांक 16.07.1958 के सिकमी पत्र को **स्व. अनंत सहाय** एवं वादीगण द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है, क्योंकि दोनों ही लिखत प्रपत्र वैधानिक दृष्टि से अस्तित्व में नहीं हैं । प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02 ने स्वीकार किया है कि सिलिंग प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 04.11.1977 से व्यथित होकर, राजस्व मण्डल ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत अपील एवं पुनरीक्षण पश्चात् पारित आदेश दिनांक 30.06.1980 के आलोक में, जिलाधीश जशपुर के समक्ष सिलिंग प्रकरण विचारण हेतु लंबित है । उक्त प्रकरण में सुनवाई के दौरान भी वादीगण द्वारा सिकमी पट्टा के आधार पर, स्वत्व के दावा हेतु कोई प्रमाण अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

11.– **प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02** ने स्वीकार किया है कि राजा विजय भूषण सिंहदेव की मृत्यु वर्ष 1982 में होने के बाद, उनके उत्तराधिकारियों को सिलिंग प्रकरण में पक्षकार बनाया जाकर, प्रकरण पुनः प्रारंभ किया गया था । सिलिंग प्रकरण में पारित अंतरिम आदेश से व्यथित होकर, उत्तराधिकारीगण द्वारा **माननीय उच्च न्यायालय** के समक्ष याचिका क्र.–419/2001 प्रस्तुत की गई थी । प्रतिवादीगण ने अस्वीकार किया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 28.01.2001 तथा दिनांक 11.04.2001 को

अंतरिम आदेश पारित कर, जिलाधीश जशपुर के समक्ष लंबित सिलिंग प्रकरण की कार्यवाही को याचिका के निराकरण तक स्थगित कर दिया गया था, इस कारण **मध्यप्रदेश/छ.ग. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 यथा संशोधित 1971–74** की धारा 05 के अनुसार विभाजन, उप विभाजन, विक्रय, दान, नामांतरण, नक्शा दुरूस्ती तथा व्यपवर्तन की कार्यवाही, जिलाधीश की लिखित अनुमति के बिना नहीं की जा सकती है। इसके विपरीत प्रतिवादीगण ने प्रकट किया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने राज परिवार के सदस्यों के निवेदन पर, सक्षम अधिकारी जशपुर द्वारा दिनांक 16.03.2001 को पारित आदेश के विरूद्ध **कमिशनर बिलासपुर संभाग** के समक्ष सिलिंग प्रकरण विचाराधीन होने के आधार पर, सिलिंग प्रकरण को आयुक्त बिलासपुर द्वारा 04 माह के भीतर निराकृत किये जाने का आदेश दिया गया था।

12.– **प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02** ने अस्वीकार किया है कि दिनांक 08.07.2014 को वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र उनके द्वारा उप पंजीयक को गलत जानकारी देकर, 90,00,000/– रूपये प्रतिफल दिया जाकर, पंजीयन करवा लिया गया है, जो धारा 05 का उल्लंघन है। प्रतिवादीगण ने अस्वीकार किया है कि विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार जशपुर द्वारा दिनांक 26.07.2014 को पारित नामांतरण आदेश भी **मध्यप्रदेश/छ.ग. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 यथा संशोधित 1971–74** की धारा 05 का उल्लंघन है। प्रतिवादीगण ने प्रकट किया है कि वाद भूमि क्रय किये जाने के संबंध में, राज परिवार के सदस्य **विक्रेता एवं क्रेता** के मध्य का संव्यवहार है, जिस पर वादीगण को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने अस्वीकार किया है कि वादीगण ने वाद भूमि पर घेरा दीवार निर्माण किया है और वाद भूमि पर आने–जाने का मार्ग स्थित है। वादग्रस्त भूमि का विधिवत् व्यपवर्तन सक्षम

अधिकारी के आदेशानुसार किया जा चुका है । प्रतिवादीगण वाद भूमि पर निर्माण हेतु स्वतंत्र हैं । वाद भूमि पर वर्तमान में प्रतिवादीगण द्वारा कोई भवन निर्माण नहीं किया जा रहा है, इस कारण वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा का संतुलन नहीं है। वादीगण का वाद भूमि का दावा अमान्य किया जा चुका है, अतः प्रतिवादीगण की प्रार्थना है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अस्वीकार किया जावे ।

13.– प्रकरण में **प्रतिवादी क्र.–03 छ.ग. शासन** की ओर से **अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) जशपुर** द्वारा अंतर्वर्ती आवेदन के उत्तर में प्रकट किया है कि वादीगण द्वारा भूमि खसरा नंबर–498, क्षेत्रफल 1.039 हे. बिना किसी कारण एवं आधार के वादग्रस्त भूमि बताया जा रहा है तथा भूमि खसरा नंबर–374/1क, क्षेत्रफल 0.381 हे. पर वादीगण एवं उनके पूर्वजों द्वारा राज परिवार से विधिवत् क्रय किये जाने हेतु या दानपत्र से स्वत्व अर्जन हेतु कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये बिना वाद भूमि को, वाद की विषयवस्तु बताया गया है । प्रतिवादी क्र.–03 ने स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर–374/1क, दिनांक 01.01.1971 से दिनांक 07.03.1974 की तिथि पर जशपुर रियासत के भूतपूर्व शासक विजय भूषण सिंहदेव के नाम पर कृषि भूमि के रूप में दर्ज थी, परन्तु वर्तमान में प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02 के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज होना दर्शित है । वादीगण ने राजस्व अभिलेख में यह भूमि कृषि भूमि होने और राजा विजय भूषण सिंहदेव के नाम पर दर्ज होने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है । वाद भूमि वर्तमान में **प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02** के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज होकर, व्यपवर्तित भूमि है । राजा विजय भूषण सिंहदेव की मृत्यु के उपरांत, उनके उत्तराधिकारियों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया था । प्रतिवादी क्र.–03 ने स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में

मध्यप्रदेश/छ.ग. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 यथा संशोधित 1971–74 के अंतर्गत सिलिंग प्रकरण भूतपूर्व शासक राजा विजय भूषण सिंहदेव के नाम पर चला था, जिसका सिलिंग प्रक.क्र.–801/अ–90 बी/1974–75 के रूप में पंजीबद्ध हुआ था और वर्ष 1982 में राजा विजय भूषण सिंहदेव की मृत्यु उपरांत, नवीन सिलिंग प्रक.क्र.–01/अ–90 ब/1996–97 के रूप में पंजीबद्ध होकर, वर्तमान में जिलाधीश जशपुर के समक्ष लंबित है । **प्रतिवादी क्र.–03** ने प्रकट किया है कि वादीगण द्वारा छ.ग. शासन वर्तमान प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है, से किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा है और उसे पक्षकार बनाये जाने के पूर्व, **सी.पी.सी. की धारा 80** के अंतर्गत सूचना जारी कर आवश्यक प्रावधान का पालन भी नहीं किया गया है ।

14.– **प्रतिवादी क्र.–03** ने अस्वीकार किया है कि वादीगण के पूर्वज स्व. अनंत सहाय के पक्ष में राजा विजय भूषण सिंहदेव तथा स्व. ऋषिकेश मिश्र द्वारा दिनांक 11.07.1954 एवं दिनांक 16.07.1958 को किसी प्रकार की वाद भूमि से संबंधित व्यवस्थापन एवं हस्तांतरण हेतु पंजीकृत या अपंजीकृत दस्तावेज दिया गया है । **प्रतिवादी क्र.–03 के अनुसार** यदि राजा विजय भूषण सिंहदेव के द्वारा वाद भूमि के संबंध में स्व. अनंत सहाय के नाम पर लिखत सनद सिकमी पट्टा दिया भी गया होता तो उसका विधिक मूल्य निरंक है । इस कारण वादीगण के पक्ष में किसी स्वत्व का अर्जन नहीं होता है । इसी प्रकार राजा साहब बहादुर जशपुर के कार्यालय द्वारा दिनांक 16.07.1958 के सिकमी पत्र का मूल्य भी निरंक है और ऐसे दस्तावेज को संपत्ति हस्तांतरण का दस्तावेज नहीं माना जा सकता । **प्रतिवादी क्र.–03 के अनुसार** राजा विजय भूषण सिंहदेव की मृत्यु के पश्चात् वादग्रस्त भूमि **खसरा नंबर–374/1 क** में उनके उत्तराधिकारियों का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज किया गया था तथा भूमि

खसरा नंबर–498 में **विगन प्रसाद** का नाम दर्ज था । **प्रतिवादी क्र.–03 के अनुसार** दिनांक 08.07.2014 को निष्पादित विक्रय पत्र के माध्यम से, राज परिवार के सदस्य **स्व. युद्धवीर सिंह जूदेव** द्वारा प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02 के पक्ष में विक्रय किया गया है तथा राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02 का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है । वादीगण द्वारा स्व. युद्धवीर सिंह जूदेव के विधिक उत्तराधिकारियों को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है ।

15.– प्रतिवादी क्र.–03 ने अस्वीकार किया है कि वर्ष 2004 में वर्तमान **राजा रणविजय प्रताप सिंह जूदेव** द्वारा दिनांक 29.03.2004 को तहसीलदार जशपुर को पत्र लिखकर वाद भूमि के राजस्व अभिलेखों से उनके परिवार का नाम पृथक करते हुए, वादीगण का नाम अंतरित किये जाने का अभिवचन वादीगण ने किया है, किन्तु इस आधार पर वादीगण को स्वत्व का अर्जन नहीं होता है । वैधानिक दृष्टि से ऐसे किसी पत्र का मूल्य निरंक है, क्योंकि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम में यह उल्लेखित है । प्रतिवादी क्र.–03 ने प्रकट किया है कि सिलिंग प्रकरण के किसी भी स्तर पर वादीगण के सिकमी काश्तकार की दावा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया गया है, इसके विपरीत सक्षम अधिकारी सिलिंग प्रकरण द्वारा दिनांक 04.11.1977 को आदेश पारित कर, वादीगण की दावा आपत्ति को अमान्य किया गया है, इस कारण वाद भूमि राजस्व अभिलेखों में राजा विजय भूषण सिंहदेव के नाम पर दर्ज होती चली आ रही थी और उसके पश्चात् उनके उत्तराधिकारियों के नाम पर दर्ज होती चली आ रही थी । राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि के समय भी वादीगण ने माननीय उच्च न्यायालय या सिलिंग प्रकरण के अधिकारियों के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है, इस कारण दिनांक 04.11.1977 का आदेश अंतिम एवं बंधनकारी हो गया है । सिलिंग प्रकरण में किसी प्रकार का

अंतिम आदेश प्राप्त नहीं किये जाने के कारण, **स्व. युद्धवीर सिंह जूदेव** को वाद भूमि प्रतिवादीगण के पक्ष में विक्रय करने का विधिक अधिकार था तथा उस समय भूमि विक्रय, विभाजन, उप विभाजन, नामांतरण एवं नक्शा दुरूस्ती अथवा व्यपवर्तन पर रोक नहीं लगायी गई थी । इस कारण प्रतिवादीगण के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र के संबंध में, वादीगण को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है ।

16.– **प्रतिवादी क्र.–03** ने प्रकट किया है कि **माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर** के समक्ष लंबित रिट याचिका क्र.–409/2001 को पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर, सुनवाई में समाप्त किया गया था । प्रतिवादी क्र.–03 ने अस्वीकार किया है कि जिलाधीश जशपुर द्वारा सिलिंग प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं की जा रही है । **स्व. युद्धवीर सिंह जूदेव** द्वारा प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02 के पक्ष में वाद भूमि के विक्रय या हस्तांतरण पर कोई रोक नहीं थी । प्रतिवादी क्र.–03 ने प्रकट किया है कि वादीगण द्वारा तत्कालीन पंजीयक, उप पंजीयक द्वारा प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02 के पक्ष में वाद भूमि के किये गये पंजीयन पर कोई आपत्ति नहीं की थी । प्रतिवादी क्र.–03 ने अस्वीकार किया है कि वाद भूमि के विक्रय पंजीयन के संबंध में, छ.ग. भू–राजस्व संहिता की **धारा 163** में उल्लेखित प्रावधानों तथा **सिलिंग एक्ट की धारा 05** का उल्लंघन किया गया है । प्रतिवादी क्र.–03 ने यह भी अस्वीकार किया है कि दिनांक 08.07.2014 को निष्पादित विक्रय पत्र प्रारंभ से ही शून्य एवं अवैध है । प्रतिवादी क्र.–03 के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी जशपुर ने वादीगण की अपील को विधिवत् निरस्त किया है । प्रतिवादी क्र.–03 ने अस्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का आधिपत्य है और उनके द्वारा वाद भूमि पर घेरा दीवार एवं आने–जाने के रास्ते का निर्माण किया गया है । **प्रतिवादी क्र.–03** के अनुसार वादीगण के पक्ष में

प्रकरण में **सुविधा का संतुलन** नहीं होने के कारण तथा **अपूर्णीय क्षति** का बिन्दु भी वादीगण के पक्ष में नहीं होने के कारण, अस्थायी व्यादेश हेतु वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार योग्य न होने के कारण, निरस्त किया जावे ।

17.– वादीगण द्वारा आवेदन के समर्थन में निम्नलिखित प्रलेख प्रस्तुत किये गये हैं –

क्रमांक	प्रलेख
1.	न्यायालय श्रीमान् सक्षम अधिकारी/जिलाध्यक्ष महोदय जशपुर के सिलिंग राज.प्रक.क्र.–801/अ–90 ब/1974–75(वर्तमान सिलिंग राज.प्रक.क्र.–01/अ–90 ब/2000–01) के आदेश दिनांक 04.11.1977 की प्रमाणित प्रतिलिपि ।
2.	न्यायालय श्रीमान् सक्षम अधिकारी/जिलाध्यक्ष महोदय जशपुर के सिलिंग राज.प्रक.क्र.–01/अ–90 ब(3)/2000–01 में संलग्न आदेश दिनांक 04.11.1977 की प्रमाणित प्रतिलिपि ।
3.	न्यायालय श्रीमान् सक्षम अधिकारी/जिलाध्यक्ष महोदय जशपुर के सिलिंग राज.प्रक.क्र.–01/अ–90 ब(3)/2000–01 ग्राम जशपुर के आदेश पत्र दिनांक 16.08.2022 की प्रमाणित प्रतिलिपि ।
4.	न्यायालय कलेक्टर जशपुर, जिला–जशपुर(छ.ग.) द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 16.08.2022 की सूची सहित नकल की प्रमाणित प्रति ।
5.	सनद सिकमी पट्टा दिनांक 11.07.1954 की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति ।
6.	कार्यालय महाराजा साहब बहादुर, जिला–रायगढ़ के सिकमी पट्टा दिनांक 16.07.1958 की स्वयं द्वारा प्रमाणित छायाप्रति ।
7.	तहसीलदार जशपुर को प्रेषित पत्र दिनांक 29.03.2004 की टंकण प्रति ।
8.	राजस्व न्यायालय म.प्र. ग्वालियर के पुनरीक्षण क्र.–196 III–1980, 197 III–1980, 198 III–1980 में पारित आदेश दिनांक 30.06.1980 की प्रमाणित प्रतिलिपि ।
9.	याचिका क्र.–419/2001 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 28.03.2001 एवं 11.04.2001 की प्रमाणित प्रतिलिपि ।
10.	याचिका क्र.–419/2001 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.09.2015 एवं 29.10.2015 की प्रमाणित प्रतिलिपि ।
11.	याचिका क्र.–419/2001 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.2017 एवं 12.10.2017 की वेब प्रति ।
12.	पायोनियर समाचार पत्र में दिनांक 19.09.2022 को प्रकाशित सिलिंग भूमि से संबंधित समाचार पत्र की प्रति ।

18.– इसके अतिरिक्त वादीगण ने आवेदन के समर्थन में **वादी क्र.–01** **अखिलेश चन्द्र सहाय** का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है ।

19.– प्रतिवादीगण ने खण्डन में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं –

क्रमांक	प्रलेख
1.	वाद भूमि के संबंध में दिनांक 08.07.2014 को प्रतिवादीगण के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि ।
2.	वाद भूमि के संबंध में नामांतरण पंजी दिनांक 26.07.2014 की सत्यापित प्रति ।
3.	अनुविभागीय अधिकारी जशपुर द्वारा राज.प्रक.क्र.–27/अ–06/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 28.10.2015 की प्रमाणित प्रति ।
4.	आयुक्त सरगुजा संभाग के समक्ष द्वितीय अपील में प्रस्तुत मेमो दिनांक 07.01.2016 की सत्यापित प्रतिलिपि ।
5.	संभागीय आयुक्त अंबिकापुर के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील के आदेश पत्र दिनांक 07.01.2016 से दिनांक 09.11.2021 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि ।

20.– इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण ने उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों के समर्थन में **प्रतिवादी क्र.–01** एवं **02** के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं ।

21.– अंतर्वर्ती आवेदन के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु हैंः–

1– क्या, वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण है?

2– क्या, वादीगण के पक्ष मे सुविधा का संतुलन है?

3– क्या, अस्थायी व्यादेश जारी न किये जाने की दशा में, वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी?

22.– अंतर्वर्ती आवेदन के समुचित निराकरण हेतु उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये गये । पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया । ऊपर वर्णित विचारणीय बिन्दुओं पर मेरे सविचार निष्कर्ष निम्नानुसार हैं :–

–:: विचारणीय बिन्दु क्र.–01 पर सविचार निष्कर्ष ::–

23.– प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम–जशपुर में **खसरा नंबर–374/1** एवं **खसरा नंबर–498,** क्षेत्रफल **क्रमशः–0.381 हे.** तथा **1.093 हे., कुल क्षेत्रफल 1.42 हे.** वादग्रस्त कृषि भूमि स्थित है, जो **प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02** के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है । वादग्रस्त भूमि, कृषि भूमि है, जिसका व्यपवर्तन नहीं हुआ है और वाद भूमि राजस्व अभिलेखों में भी कृषि भूमि के नाम पर अंकित है । वादग्रस्त भूमि के संबंध में **मध्यप्रदेश/छ.ग. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम 1960 यथा संशोधित 1971–74** के अंतर्गत सिलिंग प्रकरण, भूतपूर्व **शासक राजा विजय भूषण सिंहदेव** के नाम पर चला था, जो **प्रक.क्र.–801/अ–90 बी/1974–75** के रूप में पंजीबद्ध हुआ था तथा उनकी मृत्यु उपरांत नया सिलिंग प्रकरण क्र.–01/अ–90 बी/1996–97 तथा सिलिंग प्रक.क्र.–802/अ–90 बी/1974–75 एवं सिलिंग प्रक.क्र.–806/अ–90 बी/1974–75 के रूप में पंजीबद्ध होकर चला था, जो वर्तमान में जिलाधीश जशपुर के समक्ष पूर्ण निराकरण हेतु लंबित है, इस संबंध में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का विवाद नहीं है ।

24.– वादी ने प्रकट किया है कि वादग्रस्त भूमि को भूतपूर्व शासक स्व. विजयभूषण सिंहदेव जी ने वादीगण के दादा, परदादा **स्व. अनंत सहाय** के नाम पर सिकमी काश्तकार के रूप में व्यवस्थापित/हस्तांतरित कर दिया था, जिसके संबंध में दिनांक 11.07.1954 को लिखित सनद सिकमी पट्टा भी निष्पादित किया गया था, जिसके आधार पर वादीगण, उनके दादा की मृत्यु उपरांत वर्ष 1986 से कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं और परदादा की मृत्यु उपरांत, वादीगण वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य में रहकर कृषि कार्य कर रहे हैं । वादीगण द्वारा, उपरोक्त अभिवचन के समर्थन में दिनांक

11.07.1954 को तत्कालीन शासक स्व. विजयभूषण सिंहदेव द्वारा निष्पादित सिकमी पट्टा की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अवलोकन से तत्कालीन शासक द्वारा भूमि **खसरा नंबर–333** एवं **खसरा नंबर–374** के संबंध में, **श्री अनंत सहाय** के पक्ष में सिकमी पट्टा निष्पादित किया जाना प्रकट होता है । वादीगण ने यह भी प्रकट किया है कि वर्ष 1958 में महाराजा साहब बहादुर, जिला–रायगढ़(म.प्र.) के कार्यालय गोमस्ता ऋषिकेश मिश्र जी द्वारा, महाराजा साहब के आदेशानुसार दिनांक 16.07.1958 को सिकमी पत्र लिखकर, वादीगण के दादा **स्व. अनंत सहाय** को प्रदान किया गया था । वादीगण द्वारा उक्त पत्र दिनांक 16.07.1958 की प्रस्तुत छायाप्रति के अवलोकन से, भूमि **खसरा नंबर–374/1** के संबंध में वादीगण के दादा के पक्ष में गोमस्ता द्वारा उक्त पत्र जारी किया जाना प्रकट होता है । वादीगण ने यह भी प्रकट किया है कि वर्ष 2004 में वर्तमान राजा साहब **श्री रणविजय सिंह जूदेव** द्वारा दिनांक 29.03.2004 को तहसीलदार जशपुर को पत्र लिखकर, वादग्रस्त भूमि पर उनके परिवार का नाम पृथक करते हुए, वादीगण का नाम नामांतरित करने हेतु निवेदन किया गया था । वादीगण द्वारा प्रस्तुत दिनांक 29.03.2004 के पत्र की छायाप्रति के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि वर्ष 2004 में राजा साहब **श्री रणविजय सिंह जूदेव** द्वारा तहसीलदार को प्रेषित पत्र में भी इस तथ्य का उल्लेख है कि रियासत काल में तत्कालीन शासक **श्री विजय भूषण सिंहदेव** द्वारा, **स्व. अनंत सहाय** को भूमि खसरा नंबर–374/1, क्षेत्रफल 0.98 एकड़ भूमि दिनांक 11.07.1954 को सिकमी पट्टे के माध्यम से प्रदान की गई थी ।

25.– वादीगण ने प्रकट किया है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में, पूर्व में संस्थित किये गये सिलिंग प्रकरणों में, सक्षम अधिकारी–अनुविभागीय अधिकारी द्वारा, वादीगण के पक्ष में निष्पादित सिकमी हस्तांतरण के आधार पर, अभिलेखों का अवलोकन कर

दिनांक 04.11.1977 को वादग्रस्त भूमि के हस्तांतरण को वैध मान्य किया गया था। उक्त आदेश के प्रभाव से वादीगण भूमिधारक स्वामी समझे गये हैं। वादीगण द्वारा सिलिंग प्रकरण में **दिनांक 04.11.1977 को पारित आदेश की सत्यप्रतिलिपि** प्रस्तुत की गई है, जिसके **पृष्ठ संख्या–43** के अवलोकन से स्पष्ट है कि कृषि भिन्न प्रयोजन से परिवर्तित की गई भूमि **खसरा नंबर–374/1** पर वादीगण के दादा **श्री अनंत सहाय** का कब्जा वर्ष 1969 से 1970 तक, वर्ष 1973 से 1974 तक मान्य माना गया है।

26.– यद्यपि **प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02** द्वारा, वादीगण द्वारा प्रकट किये गये अभिवचनों का खण्डन करते हुए प्रकट किया गया है कि सिलिंग प्रकरण में सक्षम अधिकारी जशपुरनगर द्वारा, वादीगण के दादा **श्री अनंत सहाय** का वर्ष 1969 से 1970 तक, वर्ष 1973 से 1974 तक मान्य कब्जा नहीं है, अमान्य किया जाता है, का आदेश दिया जाकर प्रकरण निराकृत किया गया है। प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02 ने भूतपूर्व **शासक राजा विजयभूषण सिंहदेव** द्वारा दिनांक 11.07.1954 को किसी प्रकार का लिखित सनद सिकमी पट्टा, **स्व. श्री अनंत सहाय** के नाम पर जारी किये जाने का खण्डन किया है। प्रतिवादीगण ने प्रकट किया है कि सिलिंग प्रकरण के लंबित अवस्था में सुनवाई के दौरान, प्रतिवादीगण द्वारा लिखित सिकमी पट्टा के आधार पर, किसी प्रकार का कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था। **प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02** के अनुसार संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार, अपंजीकृत लिखित दस्तावेज के आधार पर संपत्ति का हस्तांतरण नहीं होता है।

27.– इसके विपरीत वादीगण ने प्रकट किया है कि मध्यप्रदेश राज्य निर्माण के पूर्व, तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा **म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1954** बनाया गया था,

जिसकी **धारा 166, 167, 169** के अनुसार वादीगण के पूर्वज **स्व. अनंत सहाय** सिकमी पट्टे के आधार पर, वादग्रस्त भूमि के सिकमी काश्तकार बन चुके थे । मध्यप्रदेश राज्य निर्माण के पश्चात्, वर्ष 1959 में मध्यप्रदेश राज्य द्वारा, **म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959** बनाया गया है, जिसकी **धारा 185, 189 एवं 190** में सिकमी काश्तकार के संबंध में विधिक प्रावधान विरचित किये गये हैं । वादीगण के अनुसार, उनके दादा श्री अनंत सहाय के पक्ष में दिनांक 11.07.1954 को निष्पादित सिकमी पट्टे के अनुसार मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की प्रभावशील तिथि दिनांक 02.10.1959 को वादीगण के दादा सिकमी काश्तकार थे और **धारा 189 एवं 190** के अनुसार, भू–स्वामी हो गये थे । वादीगण द्वारा तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक विनिश्चय भी प्रस्तुत किया गया है– **अम्बरीश एवं अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य व अन्य, 2024(2) रा.नि. 94** में यह मत अभिनिर्धारित किया गया है कि– "मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 168(1), 169 तथा 190 के अनुसार जहाँ भूमि पर मौरूसी काश्तकार अर्थात् स्थायी कृषक के रूप में वर्ष 1972 से कब्जा हो, वहाँ विधि के प्रवर्तन से **धारा 190** के बल पर, भूमि स्वामी अधिकार स्वतः अर्जित हो जाते हैं । इस संबंध में किसी प्राधिकारी के आदेश/ मान्यता की आवश्यकता नहीं है ।"

28.– इसी प्रकार वादीगण द्वारा तर्कों के समर्थन में न्यायिक विनिश्चय– **पुष्पा यादव तथा अन्य विरूद्ध हरि प्रसाद एवं अन्य, 2025(1) रा.नि. 332** प्रस्तुत किया है, जिसमें यह मत अभिनिर्धारित किया गया है कि– "भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 185, 189 एवं धारा 190 के अंतर्गत कृषक एवं भूमि स्वामी के अधिकारों के प्रोद्भूत होने के संबंध में, उल्लेखनीय है कि कुटुम्ब के कर्ता द्वारा जहाँ दिनांक 15.06.1956 को भूमि सिकमी काश्तकार को दी गई है तथा संहिता के प्रवृत्त होने के दिनांक से, एक वर्ष

के भीतर भूमि स्वामी द्वारा भूमि पुनर्ग्रहण के लिए धारा 189 के अधीन कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है तथा मुकदमे के लंबन के दौरान, मूल भूमि स्वामी ने भूमि विक्रय कर दी है तब भी क्रेताओं को कोई हक प्रोद्भूत नहीं होता । विधि के प्रभाव से सिकमी काश्तकार को मौरूसी कृषक एवं भूमि स्वामी अधिकार प्रोद्भूत हो जाते हैं ।" वर्तमान प्रकरण में वादीगण के दादा श्री अनंत सहाय को तत्कालीन शासक राजा विजय भूषण सिंहदेव द्वारा, दिनांक 11.07.1954 को वादग्रस्त भूमि को सिकमी काश्तकार के रूप में, सिकमी पट्टे पर दी गई थी । संहिता के प्रवृत्त होने के पश्चात् भी, मूल भूमि स्वामी द्वारा भूमि पुनर्ग्रहण हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण, **धारा 190** के अनुसार वादीगण के पक्ष में मौरूसी कृषक एवं भूमि स्वामी अधिकार प्रोद्भूत होना कहा जा सकता है । ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा, उनके दादा **श्री अनंत सहाय** के पक्ष में दिनांक 11.07.1954 को निष्पादित सिकमी पट्टे के आधार पर, वादीगण के पूर्वजों के वाद भूमि पर आधिपत्य में रहने के आधार पर, उनके द्वारा अधिनियम की **धारा 190** के आधार पर वाद भूमि का भू–स्वामित्व अर्जित कर लिया जाना प्रकट होता है । जहाँ तक वादीगण के पक्ष में वादग्रस्त भूमि के संबंध में तत्कालीन भू–स्वामी राजा विजय भूषण सिंहदेव द्वारा निष्पादित सिकमी पट्टा की विधि मान्यता का प्रश्न है, उसका निर्धारण प्रकरण के विचारण के दौरान साक्ष्य के माध्यम से किया जा सकता है ।

29.– वादीगण ने यह भी प्रकट किया है कि सिलिंग प्रक.क्र.–801/अ–90(बी)/1974–75 में पारित आदेश दिनांक 04.11.1977 से व्यथित होकर, वादीगण के पूर्वज **स्व. अनंत सहाय** तथा अन्य कई लोगों द्वारा, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया था, जिसे **रा.प्रक.क्र.–196–III/80** के रूप में पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें दिनांक 30.06.1980 को

अंतिम आदेश पारित करते हुए, राजस्व मण्डल द्वारा मूल सिलिंग प्रकरण को प्रत्यावर्तित कर, निर्देशित किया गया था कि **धारा 04, 05 एवं धारा 11** **मध्यप्रदेश/छ.ग. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 यथा संशोधित 1971–74** के अंतर्गत विचार करते हुए, अंतिम आदेश पारित किया जावे, जिसके परिपालन में जिलाधीश जशपुर के समक्ष सिलिंग प्रकरण वर्तमान में भी लंबित है । वादीगण द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण आदेश दिनांक 30.06.1980 की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व मण्डल द्वारा, विभिन्न धारकों द्वारा सिलिंग प्रकरणों में उल्लेखित भूमियों को मौरूसी काश्तकार के रूप में धारण किये जाने के संबंध में, सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 11(1) के अनुसार, समुचित जाँच किये जाने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है ।

30.– वादीगण ने प्रकट किया है कि **मध्यप्रदेश/छ.ग. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 यथा संशोधित 1971–74** की **धारा 04, 05 तथा 11** के अनुसार, सिलिंग प्रकरण के अंतिम निराकरण तक, जिलाधीश की लिखित अनुज्ञा के बिना भूमि का विभाजन, उप विभाजन, विक्रय, दान, नामांतरण, नक्शा दुरूस्ती तथा व्यपवर्तन की कार्यवाही नहीं की जा सकती थी । इसके बाद भी प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02 ने दिनांक 08.07.2014 को छल पूर्वक, उप पंजीयक को गलत जानकारी देकर, **90,00,000/–(नब्बे लाख) रूपये** के मूल्य पर वादग्रस्त भूमि का विक्रय करवा लिया गया, जो कि अधिनियम की धारा 05 का उल्लंघन है । प्रतिवादीगण द्वारा, दिनांक 08.07.2014 को प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02 के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम–जशपुर में **खसरा नंबर–374/1** एवं **खसरा नंबर–498** के संबंध में, पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है । वादीगण ने प्रकट किया है कि प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02 द्वारा तहसीलदार

जशपुर के माध्यम से, क्रय की गई भूमि का नामांतरण, नामांतरण पंजी क्र.–104 में करवाया गया है, जो कि **अधिनियम की धारा 05** का उल्लंघन होने के कारण, विधि विरूद्ध एवं शून्य है । अधिनियम की धारा 05 के अनुसार, **अधिनियम की धारा 11** के अंतर्गत अंतिम आदेश पारित किये जाने तक जिलाधीश की लिखित अनुमति के बिना, भूमि के किसी भी प्रकार का अंतरण प्रतिबंधित है ।

31.– इसके विपरीत प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02 ने प्रकट किया है कि उनके द्वारा नामांतरण विधि का समुचित पालन कर, करवाये गये नामांतरण के आधार पर दिनांक 26.07.2014 को प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02 का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित किया गया है, जिसकी पुष्टि **राजस्व अपील प्रक.क्र.–27/अ–06/2013–14** में पारित आदेश दिनांक 28.10.2015 के माध्यम से की जा चुकी है । **प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02** द्वारा नामांतरण पंजी दिनांक 26.07.2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा राजस्व अपील में पारित आदेश दिनांक 28.07.2015 की सत्यापित प्रतियाँ भी प्रस्तुत की गई हैं, जिनके अवलोकन से प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02 के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर, वादग्रस्त भूमि का नामांतरण प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02 के पक्ष में किया जाना दर्शित होता है तथा ऐसे नामांतरण आदेश के विरूद्ध वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील को निरस्त किये जाने की भी पुष्टि होती है । वादीगण ने उक्त राजस्व अपील के विरूद्ध **आयुक्त सरगुजा संभाग** के समक्ष **द्वितीय अपील** प्रस्तुत किया जाना तथा अपील को लंबित होना भी प्रकट किया है । प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02 ने यह भी प्रकट किया है कि **मध्यप्रदेश/छ.ग. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 यथा संशोधित 1971–74** के अनुसार वादीगण को वाद प्रस्तुत करने एवं आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02 के अनुसार, सिलिंग

एक्ट के प्रावधान के अनुसार ऐसे स्थिति में स्वामित्व के निराकरण एवं अन्य अनुतोष प्राप्त करने के संबंध में, सिविल वाद वर्जित किया गया है । प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02 द्वारा तर्कों के समर्थन में निम्न **न्यायिक विनिश्चय** प्रस्तुत किये गये हैं–

1– एग्रीकल्चर कंपनी डभरा विरूद्ध श्रीमती कुंथी बाई एवं अन्य, 1998 रा.नि. 100.

2– भैयालाल एवं अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य, रा.नि. 189.

इन न्यायिक विनिश्चयों में यह मत अभिनिर्धारित किया गया है कि मध्यप्रदेश/छ.ग. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 के अंतर्गत उच्च सीमा कार्यवाही में अंतर्ग्रस्त भूमि के बारे में **हक** का प्रश्न विनिश्चित करने की अधिकारिता, सिविल न्यायालय को धारा 46 के अंतर्गत नहीं है । उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में, सिलिंग प्रकरण की कार्यवाही वर्तमान में सक्षम अधिकारी के समक्ष लंबित है । राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पुनरीक्षण प्रकरण में दिनांक 30.06.1980 को पारित आदेशानुसार, **अधिनियम की धारा 04, 05 एवं 11** के अनुसार विचार करते हुए, अंतिम आदेश पारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है । **वादीगण द्वारा प्रस्तुत व्यवहार वाद में सिलिंग प्रकरण में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में, किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है ।** इसके विपरीत वादीगण द्वारा, प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र को शून्य घोषित किये जाने तथा विक्रय पत्र के आधार पर पारित किये गये नामांतरण आदेश तथा राजस्व अपीलीय आदेश के वैधानिकता को चुनौती दी गई है । इस न्यायालय के समक्ष मध्यप्रदेश/छ.ग. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 यथा संशोधित 1971–74 के अंतर्गत लंबित सिलिंग प्रकरण की

कार्यवाही के संबंध में किसी प्रकार का विनिश्चय नहीं किया जाना है । ऐसी स्थिति में उपरोक्त न्यायिक विनिश्चयों में प्रतिपादित सिद्धांत को, वर्तमान प्रकरण के संबंध में लागू नहीं किया जा सकता ।

32.– वादीगण ने प्रकट किया है कि **प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02** द्वारा वादग्रस्त भूमि पर भवन निर्माण कार्य करने हेतु सामग्री एकत्रित की जा रही है। प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02 द्वारा भवन निर्माण करवाये जाने पर, वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, क्योंकि वाद भूमि पर उनका आधिपत्य विद्यमान है । वादीगण के अनुसार, राजस्व मण्डल ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.1980 के अनुसार सिलिंग प्रकरण को पुनः प्रत्यावर्तित किया जा चुका है, जो वर्तमान में लंबित है। ऐसी स्थिति में लंबित सिलिंग प्रकरणों के समुचित निराकरण तक, वादग्रस्त भूमि को संरक्षित रखा जाना आवश्यक प्रतीत होने से, वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02 के विरूद्ध तथा वादीगण के पक्ष में अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने हेतु, प्रथम दृष्टया प्रकरण विद्यमान होना प्रतीत होता है। **अतः विचारणीय बिन्दु क्र.–01 का निष्कर्ष–प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02 के विरूद्ध तथा वादीगण के पक्ष में सकारात्मक में–"हाँ" में होना प्रमाणित पाया जाता है ।**

–:: विचारणीय बिन्दु क्र.–02 पर सकारण निष्कर्ष ::–

33.– अब जहाँ तक सुविधा के संतुलन का बिन्दु है, वहाँ यदि वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादीगण के पक्ष में अस्थायी व्यादेश जारी नहीं किया जाता है तो **प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02** द्वारा वाद भूमि पर निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये जाने अथवा वादग्रस्त भूमि को अन्यत्र अंतरित कर दिये जाने की दशा में, वादीगण सिकमी पट्टे के आधार

पर प्राप्त की गई भूमि पर आधिपत्य में रहकर, उसके स्वतंत्र एवं निर्बाध उपयोग एवं उपभोग से वंचित हो जावेंगे और उन्हें निश्चित ही अत्यंत असुविधा होगी । इसके विपरीत अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने की दशा में, प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02 को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी । इस कारण सुविधा के संतुलन का बिन्दु भी वादीगण के पक्ष में विद्यमान होना पाया जाता है । **अतः विचारणीय बिन्दु क्र.–02 का निष्कर्ष प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02 के विरूद्ध तथा वादीगण के पक्ष में सकारात्मक में–"हाँ" में होना प्रमाणित पाया जाता है ।**

–::विचारणीय बिन्दु क्र.–03 पर सकारण निष्कर्ष :: –

34.– वादीगण के पक्ष में अस्थायी व्यादेश जारी न किये जाने की दशा में, यदि प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02 द्वारा वाद भूमि पर कब्जा कर, निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाता है तो वादीगण उनके सिकमी पट्टे के आधार पर, उनके स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि के उपयोग एवं उपभोग से वंचित हो जायेंगे और उन्हें निश्चित ही ऐसी क्षति होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति रूपयों में नहीं की जा सकेगी । इस प्रकार अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी वादीगण के पक्ष में विद्यमान होना पाया जाता है । **अतः विचारणीय बिन्दु क्र.–03 का निष्कर्ष भी प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02 के विरूद्ध तथा वादीगण के पक्ष में सकारात्मक में–"हाँ" में होना प्रमाणित पाया जाता है ।**

35.– इस प्रकार **तीनों ही विचारणीय बिन्दु** वादीगण के पक्ष में विद्यमान होना पाये जाने के कारण, वादीगण द्वारा प्रस्तुत अंतर्वर्ती आवेदन अंतर्गत **आदेश 39 नियम 01 व 02 "स्वीकार"** कर, वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02 के विरूद्ध इस आशय का **अस्थायी आज्ञापक व्यादेश** जारी किया जाता है कि **प्रतिवादी क्र.–01 एवं 02**, वाद के अंतिम निराकरण तक ग्राम–जशपुर में **खसरा नंबर–**

374/1 एवं **खसरा नंबर–498,** क्षेत्रफल **क्रमश–0.381 हे.** तथा **1.093 हे., कुल क्षेत्रफल 1.42 हे.** वादग्रस्त भूमि पर, किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करेंगे ।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर पारित किया गया ।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया ।

सही/–
(शैलेश अच्युत पटवर्धन)
जिला न्यायाधीश जशपुर
जिला–जशपुर(छ.ग.)

SHAILESH ACHYUT PATWARDHAN
Digitally signed by SHAILESH ACHYUT PATWARDHAN

सही/–
(शैलेश अच्युत पटवर्धन)
जिला न्यायाधीश जशपुर
जिला–जशपुर(छ.ग.)